UPAL010012982026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जिला अलीगढ़।

पीठासीन अधिकारी–(PANKAJ KUMAR AGRAWAL)(उच्चतर न्यायिक सेवा)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–703 सन् 2026

1–भोला पुत्र ध्रुवप्रसाद

2–नीलू पुत्र ध्रुवप्रसाद

निवासीगण–नगला मानसिह थाना गांधी पार्क,जिला अलीगढ़।

.....प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोजक

आदेश

जमानत प्रार्थना पत्र आदेशार्थ पेश हुआ। जमानत प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षों को पूर्व नियत दिनांक पर सुना जा चुका है।

2– प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/अभियुक्तगण भोला व नीलू पुत्रगण ध्रुवप्रसाद **द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–405/2025, अन्तर्गत धारा 109(1),117(2),115(2) भारतीय न्याय संहिता, सम्बन्धित थाना गांधी पार्क,** जिला अलीगढ़ के मामले में जमानत प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी भोला का छोटा भाई मनोज धनीपुर मण्डी में मैक्स गाड़ी चलाता है। वादी के भााई मनोज का अपनी पत्नी राखी से विवाद चल रहा है। तीन चार दिन से उसकी पत्नी साथ में नही रह रही है। दिनांक–29.09.2025 को समय करीब 10.00 बजे सुबह के आस पास मनोज कुमर नगर में कैलाश लाज के पास बैठा हुआ था तभी अचानक चार–पॉच लोगो ने मनोज के साथ अचानक लाठी–डण्डो से मार पीट कर दी जिनमें एक का नाम **भोला** तथा भोला का बडा भाई और दो तीन लोग साथ थे। इन सबने मिलकर लाठी–डण्डो से मनोज को जान से मारने की नीयत से मारा पीटा जिससे मनोज के सिर में काफी चोट आयी है तथा एक हाथ टूट गया है। मनोज को पिटवाने में मनोज की पत्नी राखी का हाथ है। राखी ने **भोला** तथा उसके बडे भाई एवं दो तीन अन्य लोगो को भेजकर मनोज को पिटवाया है। सूचना पर वादी ने अपने भाई को मैडिकल अस्पताल में भर्ती कराया जिसका इलाज चल रहा है।

4– अभियुक्तगण द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया गया

है कि अभियुक्तगण कतई निर्दोष है उन्हे उक्त प्रकरण में रंजिशन झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण ने कोई अपराध कारित नही किया है और न ही कथित चुटैल के साथ कोई मारपीट की है। मनोज व उसकी पत्नी के मध्य आपस में विवाद चलरहा है। अभियुक्तगण का मनोज से कोई सम्बन्ध नही है और न ही उन्होने कथित घटना घटित की है। अभियुक्तगण पूर्व सजायाफ्ता नही है। कथित घटना का कोई निष्पक्ष साक्षी नही है। अभियुक्तगण दिनां–02.10.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाये।

5– इसके विपरीत अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया कि अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

6– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्क सुने तथा सम्बन्धित पत्रावली एवं उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

7- प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त भोला तहरीर में नामित अभियुक्त है तथा अभियुक्त नीलू तहरीर में नामित अभियुक्त नहीं है। तहरीर के अनुसार दिनांक 29.09.2025 को प्रातः 10:00 बजे वादी मुकदमा के छोटे भाई मनोज को अभियुक्त भोला व अन्य 2-3 लोगों द्वारा लाठी-डण्डे से जान से मारने की नियत से मारा व पीटा जाना कहा गया है। वादी मुकदमा द्वारा अपने भाई मनोज की पत्नी राखी द्वारा अभियुक्तगण से वादी के भाई को पिटवाने का कथन किया गया है। वादी मुकदमा द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में तहरीर में उल्लिखित कथनों का समर्थन किया गया है तथा चुटैल मनोज द्वारा भी अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अभियुक्त भोला व नीलू द्वारा स्वयं को लाठी-डण्डे से बुरी तरह मारना-पीटना कहा गया है। चुटैल की आहत आख्या के अनुसार चुटैल को कुल पांच चोटें आना दर्शित किया गया है। डॉक्टर शोएब चिकित्साधिकारी जे.एन.एम.सी. ए.एम.यू. अलीगढ़ द्वारा बयान अन्तर्गत धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कथन किया गया है कि *"मनोज कुमार को दिनांक 29.09.2025 को जे.एम.एम.सी. में इमर्जेंसी में भर्ती कराया गया था। उस समय मनोज कुमार की स्थिति काफी खराब थी। सर में काफी गहरा घाव था तथा हाथ में भी फ्रैक्चर था।"* चुटैल के एन.सी.सी.टी. हैड में "· Bony window: Shows fractured bony framework of right maxillary sinus with hemopneumosinus. ·Shows minimally displaced farcture of posterior wall of right frontal sinus with hemopneumosinus.
·Shows comminuted fracture of bilateral nasal bones and nasal septum. ·Shows segmental miniamlly displaced farcture of right zygomatic arch'.

·Shows multifragmentary fracture of lateral wall of right orbit and linear undisplaced farcture of roof of right orbit with pneumo orbit.
·Shows heterogenity and air foci in right preseptal space in subcutaneous plane" दर्शित किया गया है। अभियुक्तगण से घटना में प्रयुक्त डण्डे भी पुलिस द्वारा बरामद किये गये हैं, जिन पर खून के धब्बे लगे होना उल्लिखित किया गया है। प्रकरण गंभीर प्रकृति का है तथा मामले में अभियुक्तगण की सक्रिय भूमिका दर्शायी गयी है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को जमानत दिये जाने हेतु आधार पर्याप्त नहीं है। अतः अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण **भोला व नीलू** पुत्रगण ध्रुवप्रसाद की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक-05.03.2026

(पंकज कुमार अग्रवाल)
ID No.-UP-1897
सत्र न्यायाधीश,
अलीगढ़।

टाइपकर्ता– संगम (आशुलिपिक)

Digitally signed by PANKAJ KUMAR AGRAWAL
Date: 2026.03.05 12:52:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court